श्री अर्जुन सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक प्रश्न अभी कुमारी मैबल रिबैलो ने किया था । प्रश्न यह है कि जिन आदिवासी क्षेत्र में उत्खनन होता है, तो वहां के आदिवासियों को उस पूरे ऑपरेशन में या पूरी एक्सरसाइज में कोई लाभ देने का भी कार्यक्रम आपके अंदर है या नही है या केवल वे खड़े होकर देखते रहे और मजदूरी लेकर घर चले जाएं तथा आप करोड़ो की सम्पत्ति उनकी जमीन से निकाल कर ले जाएं । तो क्या उनका भी कोई हिस्सा है या नही है ?

श्री रमेश बैस : सभापति महोदय, विभिन्न खनन क्षेत्रों में जो भी खनन का कार्य होता है या जो भी काम लेते है, उनको प्राथमिकता के आधार पर उन्हें काम देना चाहिए । वहां पर उनके लिए रहने की व्यवस्था करने का भी प्रावधान है । स्थाई क्षेत्र का विकास करते हुए, वहां पर विकास के लिए अस्पताल है, विद्यालय है, पीने का पानी है, सड़क है । इनका विकास करने के लिए भी उनकी जवाबदारी होती है, जो भी उनसे काम लेते है, यह उनकी जवाबदारी होती है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन

*385. **श्री अभय कांत प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान प्रति वर्ष तथा आज तक स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन हेतु कितनी राशि जारी की गई है ;

(ख) क्या हाल में अनेक स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन समाप्त कर दी गई है ;

(ग) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ;

(घ) क्या गोवा मुक्ति संग्राम के स्वतन्त्रता सेनानियों का आज तक कोई राशि अथवा पेंशन नही दी गई है; और

(ड़) यदि यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) विगत वर्षो के दौरान तथा 28.2.2003 तक की अवधि के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन पर किये गये व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	किया गया व्यय (करोड़ रूपये में)
1999-2000	198.43
2000-2001	237.62
2001-2002	196.78
1-4-2002 से 28.2.2003 तक	147.59

(ख) और (ग) गत एक वर्ष में जांच लंबित होने के कारण चार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन निलम्बित कर दी गई, जबकि झूठे दावों अथवा जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल आदि के आरोपो की जांच के बाद तीन स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन रद्द कर दी गई।

(घ) और (ड़) गोवा मुक्ति संग्राम के उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के तहत निर्धारित पात्रता शर्ते पूरी करते है, स्कीम के तहत पहले ही पेंशन मंजूर कर दी गई है। तथापि, गोवा मुक्ति संग्राम चरण – 11 के स्वतंत्रता सेनानियों ने 6 माह का कारावास नही भोगा था, अतः स्कीम के तहत वे पात्र नही थे। उनके मामले में दिनांक 4.2.2003 को पत्रता शर्तो में ढ़ील देने की मंजूरी दी गई है तथा गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को उनके आवेदन पत्र इस मंत्रालय को भेजने के लिए कहा गया है।

Freedom Fighters' Pension

*385. SHRI ABHAY KANT PRASAD: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the amount of pension for freedom fighters released by Government each year during the last three years, and till date;

(b) whether the pension of a number of freedom fighters has recently been discontinued;

(c) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(d) whether the freedom fighters of Goa Mukti Sangram have not been given any amount of pension so far; and

(e) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIN PATHAK): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement

(a) The expenditure incurred towards pension for freedom fighters during the last three years and till 28.2.2003 is as under:—

(Rs. in crore)

Year	*Expenditure incurred*
1990-2000	Rs. 198.43
2000-2001	Rs. 237.62
2001-2002	Rs. 196.78
1.4.2002 to 28.2.2003	Rs. 147.59

(b) and (c) In the last one year, pension of four freedom fighters was suspended pending enquiry, while pension of three freedom fighters was cancelled after enquiry, into allegations of false claims or use of forged documents, etc.

(d) and (e) The freedom fighters of Goa Mukti Sangram who fulfilled the eligibility criteria as laid down under the Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme, 1980 have already been sanctioned pension under the Scheme. However, the freedom figthters of Goa Mukti Sangram Phase-ll had not undergone 6 months imprisonment and were not eligible under the Scheme. A relaxation in eligibility criteria has been approved in their case on 4.2.2003 and the Governments of Goa, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryanaand Uttar Pradesh have been asked to send their applications to this Ministry.

श्री अभय कांत प्रसाद : सभापति महोदय, 1947 के पहले जिन लोगो ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनमें से कितने लोगों का पेशन अभी तक स्वीकृत नही हो पाया है ?

मेरा दूसरा सवाल है। सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के भुगतान के लिए कोई राज्यवार प्रतिनिधिमंडल भेजने का विचार रखती है और ये प्रतिनिधिमंडल कब तक अपनी रिपोर्ट देंगे ? इसकी निश्चित डेट की जानकारी मैं चाहता हूं।

श्री हरिन पाठक : सभापति जी,there are laid down procedure and guidelines for the Swatantrata Sainik Sangram Pension. उसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य से करीब 37 आर्गनाइजेशन ऐसे है, जिन्होंने देश में हुए संग्राम में, mutinies में, स्ट्राइफ्स में, आंदोलन में भाग लिया। उन सभी के लिए हमने 1972 में एक "फ्रीडम फाइटर्स पेंशन योजना" बनाई थी और

'1980 में इस योजना की रि – नेमिंग की गयी और इसको नाम दिया गया "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना" और उसके अंतर्गत हम सब लोगों को करीबन साढ़े तीन हजार रूपया पेंशन देते है । उसके बाद 15 अगस्त, 1997 को जब हमारे देश में "गोल्डन जुबिली" मनाई गई तो उसमें यह तय किया गया कि जो वर्तमान पेंशन दी जाती है, उस पेंशन की रकम को हर पांच – पांच, छह – छह साल में बढ़ाया जाए । उसको डबल कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में आज हमारे पास पेंशन लेने वाले लोगों की संख्या के बारे में अगर माननीय सदस्य स्टेटवाइज चाहते है तो स्टेटवाइज दे देता हूं या टोटल चाहते है तो f rit the total number of applications received is 6,19,277 and the total number of applications sanctioned is 1,64,644.

प्रो0 राम देव भंडारी : माननीय सभापति जी, कई प्रकार की जांच – पड़ताल के बाद स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की मंजूरी दी जाती है । यह सही है कि असली स्वतंत्रता सेनानियों के साथ – साथ कुछ फर्जी स्वतंत्रता सेनानी भी पेंशन लेने में सफल हो गये । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस समय इस प्रकार के कितने मामले लम्बित है जो राज्य सरकारों द्वारा इनके पास भेजे गये है ?

दूसरी बात यह है कि जिनकी पेंशन रद्द कर दी जाती है, उन्होंने पेंशन मिलने के साथ ही जो राशि मिलती है उसे उठा लिया है । उनके बारे में सरकार क्या सोचती है जिनकी पेंशन रद्द कर दी गई है ?

श्री हरिन पाठक : सभापति महोदय, सरकार कोई पेंशन रद्द नही करती है जब किसी राज्य से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई कम्पलेंट आती है या कोई रिपोर्ट हमारे सामने आती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकार को यह लिखकर भेजती है कि हमें जो इन्फारमेशन मिली है उसके बारे में वैरिफिकेशन करके हमारे पास अपनी रिपोर्ट भेज दीजिए । उनकी वैरिफिकेशन आने तक हम उसको सस्पेंड रखते है, उसको स्थगित कर देते है । जैसे ही वैरिफिकेशन आ जाती है और जो हमारी नीति, नियम बने है , उसके अंतर्गत अगर वे आ जाते है तो हम तुरंत उनको पेंशन पिछली तारीख से भी दे देते है ।

प्रो0 राम देव भंडारी : आपने अपने जवाब में लिखा है कि तीन पेंशन आपने रद्द किया है, उनके बारे में आप क्या सोचते है रद्द करने के बाद ?

PROF. M. SANKARALINGAM: Hon. Chairman, Sir, there was a difference, so far as the freedom fighters in the Princely States and Provinces were concerned. That is why during the period of Shri Jawaharlal Nehru, they had organised the Swatantra Congress Federation because, in each Princely State, they had their own programmes of fighting against the princes. So, will the Government consider such state pensioners for the national freedom fighters' pension?

SHRI HARIN PATHAK: Sir, there is another Question on the subject, it is Q. No. 392. When we come to that, I will reply to the hon. member

श्री मनोज भट्टाचार्य : सर, मेरा जो सवाल था, वह प्रो0 भंडारी ने पूछ लिया है किन्तु एक छोटी सी जानकारी चाहता हूं । मंत्री जी कह रहे थे – "स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना" – यह स्वतंत्र है या स्वतंत्रता, इसे अगर मंत्री जी क्लैरीफाई कर देंगे तो बहुत कृपा होगी ।

श्री हरिन पाठक : मैंने स्वतंत्रता ही कहा, वह बोलने में अगर स्वतंत्र ....

श्री मनोज भट्टाचार्य : बार – बार आप स्वतंत्र कह रहे थे । ...(**व्यवधान**)...

श्री बाककवि बैरागी : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि गोआ स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भी वे कौन – कौन सी श्रेणी के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सैनानी है, जिनको आपने स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों में शामिल किया है ? स्वतंत्रता के समकक्ष कौन – कौन से आन्दोलन या मूवमेंटस आपने इसमें शामिल कर लिए है ? इसके अतिरिक्त जो आपने बताया कि करीब सवा लाख ऐप्लीकेशंस पैंडिंग है, इनका फैसला कब तक हो जाएगा, अगर इसका प्रदेश – वार ब्यौरा आप दे देंगे तो बडी कृपा होगी ।

श्री हरिन पाठक : महोदय, एक तो जो उन्होंने पूछा कि कौन – कौन से आन्दोलन और स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए लोग है, मैंने जैसा पहले बताया, Thirty-seven are identified, जो भी स्ट्रगल हुई , जिसमें प्रिंसली स्टेअ स्ट्रगल भी आ जाती है, उन सभी को हमने स्वतंत्रता सैनिक संग्राम पेंशन के लिए मान्यता दे दी है । जहां तक गोआ का सवाल है, गोआ का आंदोलन ती फेज में हुआ है । The first phase was from 1946 to 1953. उस फेज़ में जितने भी लोगो ने गोआ में आन्दोलन में हिस्सा लिया, उन सबको सरकार ने पेंशन ग्रांट कर दी है ।The second phase was from 1954 to 1955, and the third phase was from 1956 to 1961. Pensions to freedom fighters from the first phase of 1946 to 1953 were granted. Then, pensions to freedom fighters from the second phase of 1956 to 1961 were also granted. But during the second phase of 1954 to 1955 इस संदर्भ में क्या हुआ कि गोआ में आन्दोलन चलता रहा । वहां के जो पोर्तुगीज़ प्रशासक थे वे जब आन्दोलनकारी आते थे तो उन्हें खदेड़ देते थे, मार देते थे और मारकर भगा देते थे । 1.8.2002 को आदरणीय उप प्रधानमंत्री जी जब गृह मंत्री थे, उनके पास मधु दंडवते जी वगैरह ने इस संबंध में रिप्रेजेंटेशन दिया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उस वक्त सरकार ने यह फैसला कर लिया कि जो सैकेंड फेज़ में भी लोग थे , 1.8.2002 को कटलाइन बनाकर जितने भी राज्यों के स्वतंत्रता सैनानियों ने इस गोआ के आन्दोलन में हिस्सा लिया है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए ।

MR. CHAIRMAN : Next question.